न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश राव, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 /2025

जीसीएमएस सं0 2025/43

1 बलजीतसिंह पुत्र मलकीतसिंह जाति जटसिख साकिन साकिन 10 जीडी–ए तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

---प्रार्थी

बनाम

1 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए

–:: निर्णय ::– दिनांक :–05.03.2025

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 10 जीडी–ए तहसील घड़साना का प0 नं0 5/15 के किला नं0 1 ता 4, 9, 10 में कुल 1.075 है0 कमाण्ड रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसके किला नं0 1 व 10 में करीबन 40 वर्षोंसे लगभग दो–दो बिस्वा 16.5 फुट अबाधित रूप से लगातार आज रोज तक चालू है मुझ प्रार्थी उक्त रकबा में चालू रास्ता को गैर मुमकिन रास्ता में स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है जिसमें श्रीमान जी की आज्ञा आवश्यक है। उक्त रकबा में किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद स्थगन आदेश नहीं है तथा उक्त रकबा तहसील घड़साना में होने के कारण श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को जनहित में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए में दर्ज कर उक्त रकबा के चालू रास्ता को गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पैरोकार राज से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चक 10 जीडी–ए का प0 नं0 5/14

उपखण्ड अधिकारी घड़साना

की 6.199 है0, 5/15 के किला नं0 1 व 2 की 0.506 है0, 3 की 0.190 है0, 4 की 0.088 है0, 9 की 0.076 है0, 10 की 0.215 है0 कुल 7.274 है0 है0 बलजीतसिंह पुत्र मलकीतसिंह जाति जटसिख साकिन 10 जीडी–ए के नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मौका पर प0 नं0 5/15 के किला नं0 1 तथा 10 में पत्थर लाईन पर दो–दो बिस्वा रास्ता चालू है। यह रास्ता प0 नं0 5/14 में स्वीकृत रास्ता में नहर की पुलिया तक जोड़ता है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्थगन दर्ज नहीं है। उक्त किला में रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

प्रार्थी एवं पैरोकार राज को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र पेश कर अपनी खातेदारी भूमि में से प0 नं0 5/15 के किला नं0 1 व 10 में दो–दो बिस्वा रास्ता मन्जूर करने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी उक्त चालू रास्ता को स्वीकृत किया जाना उचित बताया गया है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील घड़साना के चक 10 जीडी–ए के प0 नं0 5/15 के किला नं0 1 व 10 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा पत्थर लाईन चालू रास्ता को प्रार्थी की सहमति के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृतशुदा रास्ता का नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार घड़साना को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 05.03.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सुरेश कुमार राव
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना